न्यायालय श्रीमान डिप्टी कलेक्टर [illegible] हरदोई ।

श्री बाबाजी महाराज महाविद्यालय पहुतेरा हरदोई द्वारा प्रबन्धक [illegible] पुत्र गोपीचरन निवासी [illegible] पुर परगना [illegible] तहसील [illegible] जिला हरदोई ———————— प्रार्थी

बनाम

सरकार ——— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अ0 धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0 [illegible]

श्रीमान जी

प्रार्थी का निवेदन निम्न है-

1-यह कि ग्राम पहुतेरा परगना पंचर तहसील [illegible] हरदोई में स्थित [illegible] गाटा सं0 1308/2 [redacted] 1-0420 उपरोक्त [illegible] महाविद्यालय के नाम भूमि प्रबन्धक राजस्व अभिलेखो में दर्ज कागजात है, तथा उक्त गाटे का बंटवारा भी न्यायालय श्रीमान [illegible] द्वारा [illegible] किया इत्यादि कागजातो [illegible] है।

2-यह कि बंटवारा के प्रार्थी महाविद्यालय के नाम गाटा सं0 1308/2 रकबा 1-0420 स्थित ग्राम पहुतेरा परगना पंचर तहसील [illegible] हरदोई [illegible] राजस्व अभिलेखो में दर्ज कागजात है ।

3-यह कि गाटा संख्या 1308/2 रकबा 1-0420 में महाविद्यालय भवन [illegible] बाउन्ड्री वाल बने हुए है और उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं [illegible] बागवानी आदि के प्रयोग में नहीं आती है इसी कारण [illegible] उक्त भूमि व गाटा सं0 1308/2 का दर्ज रकबा न्यायालय द्वारा [illegible] और उपरोक्त गाटा सं0 1308/2 रकबा 1-0420 का [illegible] महाविद्यालय के भवन के लिये है और जिस पर महाविद्यालय [illegible] संचालित होता है ।

4-यह कि गाटा सं0 1308/2 रकबा 1-0420 वास्तविक कृषि कार्य के लिये नहीं होता है व चूँकि उस पर विद्यालय भवन बना है इसलिये धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि सुधार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिया जाना [illegible] आवश्यक

Scanned by Scanner Go